

9/11/2017

आवेदक द्वारा श्री मनीष गर्ग अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से श्री हेमन्त साबले अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा श्री विनीतसिंह अधिवक्ता उपस्थित।

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री मनीष गर्ग ने व्यक्त किया कि पूर्व आदेश दिनांक 14/10/2017 द्वारा जो स्थगन आवेदन निराकृत हुआ है उसमें आवेदन दिनांक 27/6/2017 को आवेदन क्रमांक-1 के रूप में उल्लेखित किया गया है जबकि आवेदन क्रमांक-1 दिनांक 19/6/2017 को प्रस्तुत हुआ है। अतः उक्त आदेश दिनांक 14/10/2017 में दिनांक 27/6/2017 को प्रस्तुत आवेदन का क्रमांक सुधार किया जाकर दिनांक 19/6/17 को प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 का निराकरण भी पूर्व प्रस्तुत तर्कों के आधीन किये जाने की प्रार्थना की।

2. अभिलेख का अवलोकन किया गया। पूर्व आदेश दिनांक 14/10/2017 में दिनांक 27/6/2017 को प्रस्तुत आवेदन का क्रमांक-1/17 उल्लेखित किया गया है जो त्रुटिवश अंकित होना प्रकट होता है तथा दिनांक 19/6/2017 को प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 का उल्लेख उक्त आदेश दिनांक 14/10/2017 में होना प्रकट नहीं होता है।

3. अतः न्याय हित में उभय पक्ष की सहमति से धारा 151, 152 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14/10/2017 में निराकृत दिनांक 27/6/2017 के आवेदन को आवेदन क्रमांक-1/17 के स्थान पर आवेदन क्रमांक-1अ/17 दिनांक 27/6/17 पढ़े जाने का आदेश दिया जाता है तथा उभय पक्षों द्वारा स्थगन संबंधी प्रस्तुत पूर्व आवेदन क्रमांक-1/17 दिनांक 19/6/2017 का निराकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

4. उक्त आवेदन दिनांक 1/17 दिनांक 19/6/17 पर पूर्व दिनांक 14/10/017 को उभय पक्षों द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा कोई अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत नहीं करना व्यक्त किया गया।

5. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्रमांक-356/1 एवं 356/2 की भूमि आवेदिका जयदेवी वर्मा के नाम पर शासकीय अभिलेख में अभिलिखित है। उक्त भूमि पर आवेदिका के अनुसार मेसर्स मिशीगन रबड़ (इंडिया लिमिटेड) के रूप में एक फैक्ट्री स्थापित है। उक्त भूमि के कुछ भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बैतूल-पाण्डुर्ना के बीच फोरलेन हाइवे क्रमांक-69 बनाने के लिए नेशनल हाइवे अधिनियम की धारा 3 (डी)(1) के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 12-05-2011 जारी होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन अधिकारी), बैतूल द्वारा प्रकरण क्रमांक-16-अ/82/2011-12 में दिनांक 02-07-2012 को 1. 110 हैक्टेयर प्रश्नाधीन भूमि का 21,84,55,299/-रूपये का मुआवजा निर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया था, जिससे असंतुष्ट होकर परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, पाण्डुर्ना द्वारा दिनांक 01-11-2012 को उक्त अधिनियम की धारा 3 (जी) (5) के अन्तर्गत आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर उक्त अवार्ड दिनांक 02-07-2012 त्रुटिपूर्ण होने से उसे अपास्त कर यथोचित रूप से संशोधन किये जाने की प्रार्थना की गयी है, जिसमें फैक्ट्री का हिस्सा, जिसमें कारखाने की मिलें स्थापित हैं, वह अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर होने के कारण उसके सम्बन्ध में मुआवजे के निर्धारण को अनुचित बताया गया है। उक्त प्रकरण में आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद के

समक्ष आवेदक जयदेवी वर्मा द्वारा दिनांक 08-11-2012 को उक्त अवार्ड दिनांक 02-07-2012 में उसे विधि अनुसार सुनवाई का मौका सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दिये जाने के कारण उक्त अवार्ड दिनांक 02-07-2012 को संशोधित कर आवेदिका को 79,20,68,191/-रूपये का अवार्ड मय ब्याज के दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी थी। उक्त प्रकरण आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद में अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक-02, 03/अभ्या./2012-2013 पर पंजीबद्ध होकर उसका निराकरण आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद द्वारा आदेश दिनांक 23-02-2017 द्वारा किया जाकर आवेदिका जयदेवी वर्मा का दावा/अभ्यावेदन अमान्य किया गया है, जिसमें वह नेशनल हाइवे अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी) के अन्तर्गत मुआवजे की हकदार नहीं होने सम्बन्धी विनिश्चय किया गया है।

6. आवेदिका की ओर से उक्त आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी, नर्मदापुरम सम्भाग, होशंगाबाद द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23-02-2017 से असंतुष्ट होकर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अन्तर्गत इस प्रकरण का मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

7. आवेदिका की ओर से उक्त आवेदन क्रमांक 1/17 दिनांक 19/6/17 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आयुक्त/मध्यस्थता अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/2/2017 के क्रियान्वयण को स्थगित किया जावे।

8. यद्यपि उक्त आवेदन की कंडिका क्रमांक-2 से 4 में जो तथ्य उल्लेखित किये गये हैं वो पूर्व निराकृत आवेदन क्रमांक 1अ/17 दिनांक 27/6/17 के समानांतर ही प्रकट होते हैं।

9. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन क्रमांक 1/17 दिनांक 19/6/17 के परिप्रेक्ष्य में यह अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत किया गया था कि आयुक्त/मध्यस्थता अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23/2/2017 का क्रियान्वयण स्थगित

रखते हुए अनावेदक क्रमांक-2 अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल द्वारा पारित अवार्ड की राशि नियमानुसार जमा करने हेतु निर्देशित किया जावे।

10. उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन क्रमांक 1/17 दिनांक 19/6/17 में ऐसे किसी स्थगन संबंधी कोई स्पष्ट उल्लेख प्रकट नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आयुक्त/मध्यस्थता अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/2/2017 में अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल के वादग्रस्त अवार्ड को निरस्त करते हुए आवेदिका को क्षति पूर्ति की पात्रता भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी विनिश्चय किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23/2/2017 के गुण दोष पर विनिश्चय के पूर्व अन्तरिम आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भू अर्जन एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल के वादग्रस्त अवार्ड संबंधी आदेश को पुनरजीवित कर उसके परिपालन संबंधी अन्तरिम आदेश स्थगन के स्वरूप में पारित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। आयुक्त/मध्यस्थता अधिकारी द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23/2/17 के गुण दोष पर विवेचना उपरान्त ही अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल के विवादित आदेश की प्रभावशीलता के संबंध में कोई आदेश पारित किया जा सकता है।

11. परिणामतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन क्रमांक-1 दिनांक 19/6/2017 के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका के अधिवक्ता की ओर से आयुक्त/मध्यस्थता अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/2/017 के क्रियान्वयण को इस प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखे जाकर अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल के विवादित आदेश का क्रियान्वयण करवाये जाने संबंधी अन्तरिम आदेश पारित किये जाने संबंधी प्रार्थना अस्वीकार की जाकर तदनुसार पूर्व आदेश दिनांक दिनांक 14/10/017 की विवेचना की निरन्तरता में आवेदन क्रमांक 1/17 दिनांक 19/6/17 भी निरस्त किया जाता है।

12. प्रकरण आवेदक पक्ष के आदेश 1 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के आवेदन क्रमांक 2/17 दिनांक 14/10/2017 तक तर्क हेतु मध्यान्तर पश्चात् पेश हो।

सही/- 9/11/2017
(भूपेन्द्र कुमार निगम)
जिला न्यायाधीश बैतूल

पुनश्च :- मध्यान्तर पश्चात्

आवेदक द्वारा श्री मनीष गर्ग अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से श्री हेमन्त साबले अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा श्री विनीतसिंह अधिवक्ता उपस्थित।

1. आवेदक पक्ष के आवेदन क्रमांक 2/17 दिनांक 14/10/17 का जवाब अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से प्रस्तुत किया गया नकल आवेदक पक्ष को दिलाई गई।

2. आवेदन क्रमांक 2/17 दिनांक 14/10/2017 पर उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

3. आवेदक पक्ष ने प्रकरण में अनावेदक क्रमांक-2 को त्रुटिवश पक्षकार बना दिये जाने तथा अनावेदक क्रमांक-2 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने के आधार पर आदेश 1 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत अनावेदक क्रमांक-2 का नाम अनावेदक पक्ष की पंक्ति से विलोपित करने की प्रार्थना की है।

4. अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में आवेदन का विरोध किया गया है तथा अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, (भू-अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्यवाही किये जाने तथा अनावेदक क्रमांक-2 आयुक्त/मध्यस्थता अधिकारी के समक्ष भी पक्षकार होने के आधार पर इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना बतलाते हुए आवेदक पक्ष का आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

5. स्वीकृत रूप से प्रकरण में अनावेदक क्रमांक-2 के विरुद्ध आवेदक पक्ष की ओर से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। आवेदक ने धारा 34 मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण का मूल आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें

मध्यस्थता अधिकारी द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23/2/017 को चुनौती दी गई है।

6. यद्यपि मध्यस्थता अधिकारी के समक्ष अनावेदक क्रमांक-2 अनुविभागीय अधिकारी, (भू-अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश विवेचना के आधीन रहा है किन्तु स्वीकृत रूप से अनुविभागीय अधिकारी (भू-अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल द्वारा दिनांक 2/7/2012 को पारित विवादित अवार्ड उनके पदीय कर्तव्य के आधीन पारित आदेश के स्वरूप का होना प्रकट होता है। धारा 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (भू-अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल आवश्यक पक्षकार होना प्रकट नहीं होता है। मात्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा पदीय कर्तव्य के आधीन पारित आदेश प्रकरण में विवेचनाधीन होने के आधार पर उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से जबकि आवेदक द्वारा उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हो।

7. अतः आवेदक पक्ष का आवेदन क्रमांक 2/17 दिनांक 14/10/2017 आदेश 1 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर अनावेदक क्रमांक-2 अनुविभागीय अधिकारी (भू-अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल का नाम कम किया जाकर अनावेदक की पंक्ति से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक पक्ष तीन दिन में आवश्यक संशोधन अंकित करें।

प्रकरण दिनांक 13/11/2017 को पेश हो।

सही/-9/11/2017

(भूपेन्द्र कुमार निगम)

जिला न्यायाधीश बैतूल